

Friday

अचल अधिकारी का कार्यालय बलियापुर (धनबाद)

जमावंदी रदद अभिलेख वाद नं०- 203 / 2018-17

वाद का प्रकार - विचार (अनसबड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जमा एवं लगेकडों से संबंधित।

23/8/2018

प्रारखण्ड दरवाजा नं० जापाक 2074/वा. दिनांक 13/05/2018 सहसंज्ञित की अनुषूची निदेशक नू-अलग-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भू-सुधार विभाग का पत्र नं०-3-ख(अ)गानिति-112/85/2308/र०, दिनांक 30/09/1989 एवं नं०-पडेट गजक विभाग/परिष्क नं०-114/र० दिनांक 09/12/1989 में निदेश निदेश को अनुपालन नैरमकरुआ छान भूनि की लापम की नवी जमावंदिया का जमा प्रत्यक्ष की गई। जमा प्रक्रम में इलज कर्मचारी एवं अचल निदेशक द्वारा प्रविष्टित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणों की भूमि -

संज्ञ. **बिसाहा** धना नं० **182** खीर नं० **62** जमा नं० **0.88 2/3** फाट भूमि जो परिचरुआ सख अनादर विचार (आरखड) स्वरुअ के खाते की मिकानी भूमि है जिसके जमावंदी नक मीजा नं० पडि 11.44 जमावदी रथ **कुलकु रहने, पि० रामचंद्र म हरी** के नाम से कायम है।

हालां कर्मचारी एवं अचल निदेशक द्वारा जोखबरत उपयुक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमावदी को सदिग्न प्रविष्टित केल गल है।

हालां कर्मचारी एवं अचल निदेशक द्वारा सामनेत जमा प्रविष्टित से परीत छान है कि उपयुक्त जमावदी बिना सभम प्रविधिकारी के आदेश न/अथ कडावस्ती के अधार पर/अथ कोडकर अन्वोबस्ती के अधार पर/अथ अलग निर्धारण के अधार पर/अथ हुकुमगाम के अधार पर कायम की गई है जिसका संशोध नेती द्वारा एव राज्य का दिति कारित करना है।

प्रथम दृश्य उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणों को जमाव की सूचि जमावंदी अर्थात् प्रतीत हाती है जिसका विचार (अनसबड) भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(1) के तहत जमा किया जाना बाध्य प्रतीत होता है।

अतएव सचिवित जमावदी रथ का लंदिस निवात कर उपयुक्त भू खर से संबंधित मूल उस्तावेजों/निगत सभम रसिद की गल हने तथा उनके कायम दृष्ट कर के रथ उपरत जमावदी को अवेच मानने दुर विचार (अनसबड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत सभम प्रविधिकार को रद करन हेतु अनुशरित किया जाय।

अभिलेख दिनांक को लागूवहित करे।

लेखापित एवं संशोधित

अचल अधिकारी बलियापुर।

अचल अधिकारी बलियापुर
23/8/18


विहित तमिजा हेतु पत्रा।
- जो 24 सप्ट 18/18

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतिखान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समोहर्ता धनबाद को भेजे।


अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

वाद अमितेख सख्या- 203 / 2016 (संशोधित धारा-310), B.L.R Act, 1950

सूचना

बनाम

पु. सु. गहरी. वि. सान्तरन म.स.
विरुद्ध

एतद द्वारा आपका सूचित किया जाता है कि लखनऊ नं. 182
खसत नं. 62 खसरा नं. 1182/3
50 नं. 111 के पत्तों-11 माम. नं. 3
राजस्थान जमींदारी में अंचल निरीक्षक के पदव्यवस्थापन संबंधी प्रतिवेदन किया है।

अतएव आप उक्त सूचना में दिनांक 9/8/16 को समझ-1500 बजे मुद्रित में राजस्थान भूमि का स्टिर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित कुमुननाम, मूलभूत जमींदारी द्वारा निर्मित जमींदारी रसीदों, कार्र. म. एवं सरकार में जमींदारी निर्मित हो। के बाद सरकार द्वारा निर्मित राजस्थान रसीदों निर्मित करवाना एवं अन्य डीस शाखों को नुस गति/स्वयंप्रतिपत्ति को आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता है, के साथ अधीनस्थानों के कार्यालय प्रकाश में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सन्द रहे कि अन्यथा कि स्थिति में हमारा समझना कि उक्त नुस में आपका कुस नहीं करडना है तथा उपरोक्त दस्तावेज/साक्ष्यों के अभाव में तमूवेत निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमावती को सख्त में सुचित-करना निर्णय ली है। निर्णयगत अनुस जा कर दो जायेगी।

इसे सख्त जमींदारी जने।

तिथि-

सूत्र

16/8/16

स्थान-

25/8/16

डुम न.स.
4/8/2016

गीतिस न.स.सिमा सिमा
चौ/0 न.स.सिमा सिमा
06/8/16